न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

भैरू बनाम कालूराम

वाद नं. 18/2017

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	16/9/2022	पत्रावली प्रस्तुत। अन्तिम बहस सुनी गई। वाद वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 118/2017 वाद प्रस्तुति दिनांक – 05.10.2017

1. भैरू पुत्र सुज्या जाति जाट निवासी साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. भूरा पुत्र सुज्या जाति जाट निवासी साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. मूलचन्द पुत्र सुज्या जाति जाट निवासी साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. गोपाल पुत्र सुज्या जाति जाट निवासी साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... वादीगण

बनाम

1. कालूराम पुत्र छगना जाति जाट निवासी ग्राम साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. भीवाराम पुत्र छगना जाति जाट निवासी ग्राम साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. छोटूराम पुत्र छगना जाति जाट निवासी ग्राम साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. श्रवण पुत्र छगना जाति जाट निवासी ग्राम साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. सीताराम पुत्र मांगी लाल जाति जाट निवासी ग्राम साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. जीवनराम पुत्र मांगी लाल जाति जाट निवासी ग्राम साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. चौथी देवी पत्नी मांगी लाल जाति जाट निवासी ग्राम साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:43:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा – 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

दिनांक 16.09.2022

उपस्थिति :– (1) अधिवक्ता श्री बंशीधर जाट – वादी की ओर से
(2) प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, वादीगण ने वाद पत्र में अंकित यह किया गया है कि वाके राजस्व ग्राम साहिबरामपुरा, पटवार हल्का अनोपपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक हलका जालसू तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर 48 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 49 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 50 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 51 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 52 रकबा 01.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 53 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 381 रकबा 1.46 हैक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 4.63 हैक्टेयर स्थित है तथा प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नंबर 45 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 47 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 302 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 303 रकबा 2. 10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 304 रकबा 0.31 रकबा हैक्टेयर, खसरा नंबर 305 रकबा 0.13 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 4.75 हैक्टेयर स्थित है। वादीगण की भूमि खसरा नंबर 48 रकबा 0.21 है0, स्थित है, को वाद पत्र के आगे के मदों में भूमि विवादग्रस्त से संबोधित किया गया है। वादीगण की भूमि खसरा नंबर 48 की दक्षिणी सीमा खसरा नंबर 47 से मिलवा है, जो प्रतिवादी की भूमि है, दोनों की सीमा विवाद को लेकर कहासुनी होने पर प्रार्थी / वादीगण ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 5.1.1999 को तहसीलदार आमेर के आदेश से करवाया गया था। जिसके अनुसार वादीगण अपनी भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं। वादीगण अन्य भूमियों के साथ विवादित भूमि पर भी काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है, तथा प्रतिवादीगण अपनी भूमि पर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं, आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई विवाद कब्जे से संबंधित नहीं रहा है। विवादित आराजियात का [illegible] एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार है, तथा सअधिकार [illegible] उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं, प्रतिवादीगण का [illegible] का कोई हक व अधिकार नहीं है, तथा वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि [illegible] उक्त भूमि के बाबत प्रतिवादीगण का स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वो वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे, तथा न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana S
Date: 2022.10.12 11:43:58 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

[illegible] कृत्य अपने परिवार के सदस्यो, एजेंट, सर्वेंट आदि से करावे, इस कारण [illegible] द्वारा यह वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के [illegible] प्रस्तुत करना लाजिम आया है। विवादित आराजीयात पर दिनांक 02.10. [illegible] को अप्रार्थीगण करीबन 200-250 व्यक्तियो को जिनमें ज्यादातर आदमी [illegible] के नशे मे थे लेकर आये तथा जबरन तारबंदी करने लगे, उस समय [illegible] किसी कार्य से घर पर नहीं थे वादी का पुत्र मौके पर आकर मना किया [illegible] ने यह ऐलानिया धमकी दी कि तू यहा से चला जा अन्यथा तेरे [illegible] से मार देंगे। कुछ समय बाद वादीगण भी मौके पर आ गये, तथा उनको [illegible] को समझाने लगे परंतु प्रतिवादीगण जबरन तारबंदी करने पर आमादा [illegible] समय तो प्रतिवादीगण मौके पर से चले गये परंतु जाते-जाते यह [illegible] धमकी दे गये कि कभी भी मौका पाकर इस भूमि पर हम कब्जो करके [illegible] इस प्रकार का कोई अधिकार प्रतिवादीगण को नहीं है कि वो वादीगण की [illegible] भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल करे, मौके पर विवादित भूमि पर [illegible] की झाडिया व बाजरे की कडबी पडी हुई है।

[illegible] ने अपने दावे के समर्थन मे दस्तावेज साक्ष्य नकल जमाबन्दी [illegible] 76 दिनांक 29.11.2016 व नक्शा ट्रेस ग्राम साहिबरामपुरा, फर्द मौका [illegible] की प्रति प्रस्तुत किया है।

[illegible] ने याचित किया की वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत वाद [illegible] निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर वाद पत्र के मद संख्या-2 मे वर्णित भूमि [illegible] नंबर 48 रकबा 0.21 है० ग्राम साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर [illegible] किया जावे कि वो वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की [illegible] ही जबरन वादीगण को बेदखल करे अतिक्रमण करे उक्त [illegible] ही अपने एजेंट सर्वेंट आदि से करावे।

[illegible] उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया [illegible]

[illegible] जारी किया गया।

[illegible] 7 [illegible]

[illegible]

[illegible]

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sh
Date: 2022.10.12 11:43:58 IS
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया। वादी को वाद पत्र का स्वीकृत तथ्य है कि वादी की भूमि प्रतिवादी की भूमि से लगवा पर स्थित है। तहसीलदार आमेर द्वारा दिनांक 05.01.1999 को सीमाज्ञान किया गया है। दोनो पक्षो के महज सीमा विवाद हैं विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 48 का वादी रिकार्डेड खातेदार है, यह जमाबंदी (संवत 2073 .76) से सिद्ध है। कानूनी रूप से जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड से कब्जे की अवधारणा मानी जाती है। जब तक कि इस रिकार्ड को प्रतिकूल साबित नही किया गया हो। जमाबंदी (संवत 2073 . 76) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का उपर्युक्त खसरा नं. 48 पर कब्जा है। अतः वाद वादी डिक्री किये योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद डिक्री किया जा कर प्रतिवादी को इस स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद वादी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 48 रकबा 0.21 की सीमा तक किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे, ना ही उसकी सीमा में प्रवेश करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:43:58 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी: श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

...मित वाद संख्या – 118 / 2017 वाद प्रस्तुति दिनांक – 05.10.2017

1. भैरू पुत्र सुज्या जाति जाट निवासी साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. भूरा पुत्र सुज्या जाति जाट निवासी साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. मूलचन्द पुत्र सुज्या जाति जाट निवासी साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. गोपाल पुत्र सुज्या जाति जाट निवासी साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

.... वादीगण

, बनाम

1. कालूराम पुत्र छगना जाति जाट निवासी ग्राम साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. सैवाराम पुत्र छगना जाति जाट निवासी ग्राम साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. छोटूराम पुत्र छगना जाति जाट निवासी ग्राम साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. श्रवण पुत्र छगना जाति जाट निवासी ग्राम साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. सीताराम पुत्र मांगी लाल जाति जाट निवासी ग्राम साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. जीवनराम पुत्र मांगी लाल जाति जाट निवासी ग्राम साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. चौथी देवी पत्नी मांगी लाल जाति जाट निवासी ग्राम साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Apran
Date: 2022.10.12 11:43:5
Reason: SelfAttested

.........प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 118 / 2017
बउनवानी – भैरू बनाम कालूराम वगै0
निर्णय दिनांक – 16.09.2022

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा – 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

दिनांक 16.09.2022

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाता है। तद् अनुसार खातेदारी भूमि खसरा नं. 48 रकबा 0.21 की सीमा तक किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे, ना ही उसकी सीमा में प्रवेश करे।

बसाख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 16.09.2022 को जारी किया ।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	
स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
...वत इजराय हुक्मानामा			बवत इजराय हुक्मानामा		
...तफर्रित	4 रुपये		मुतफर्रित	4 रुपये	
...ीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:43:58 IST
Reason: SelfAttested